फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2021/88 बआनवान पाबुसिंह वगैरा बनाम अजयपाल सिंह वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2
सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
15/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री भरत जे0 राठौड उपस्थित। अप्रार्थी स0 1 से 3 के अधिवक्ता पक्ष के अधिवक्ता श्री हनुमान सिंह चौहान व श्री अमृत परिहार उपस्थित। अप्रार्थी स0 15 पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2075–78 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम गुडादेवीसिंह पटवार हल्का पादरला के खसरा न0 1, 100, 101, 102, 11, 12, 122 ,123, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 55 ,6, 62, 7, 7/124, 74, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 9, 90 ,91 ,92, 93, 94 ,95 ,96, 97, 98 कुल खसरा 55 कुल रकबा 68.97 हैक्टर के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 14 सहखातेदार है, जो इस तथ्य की पुष्टि करते है कि वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य संयुक्त सहखातेदारी भूमि का विभाजन आजतक नही हुआ है। जिसके विभाजन के वाद तथा सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के साथ प्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण ने संयुक्त सहखातेदारी की भूमि होने से बिना विभाजन हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने का निवेदन किया। धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा जानी किये जाने बाबत् विधि द्वारा स्थापित बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला बनना, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दुओ की कसौटी पर प्रार्थीगण का प्रकरण खरा नही उतरता है। अविभाजित संयुक्त सहखातेदारी भूमि में इंच–इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का काश्त व कब्जा माना जाता है, तथा प्रार्थीगण का अनुतोष बिना विभाजन हुए संलग्न हुए सावित नही हो सकता। इसके साथ ही विधिक प्रावधानो के तहत एक सहखातेदार के विरूद्व दुसरे सहखातेदार के आवेदन पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने को भी प्रतिबंधित किया गया हैं। इस संबध में विभिन्न अपर न्यायालयो द्वार विभिन्न प्रकरणों में समय–समय पर पारित आदेशों/निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है कि सहखातेदार के विरूद्व कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जावें प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो की कसौटी पर खरा नही उतरने से प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गुडादेवीसिंह पटवार हल्का पादरला के खसरा न0 1, 100, 101, 102, 11, 12, 122 ,123, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 55 ,6, 62, 7, 7/124, 74, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 9, 90 ,91 ,92, 93, 94 ,95 ,96, 97, 98 कुल खसरा 55 कुल रकबा 68.97 हैक्टर हैक्टर के सबंध में प्रस्तुत उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किय जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner